संख्या-169/2026/722के-2/22-3-2025-17(1416)/2022

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 22 मई, 2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजआलम पुत्र श्री करामत हुसैन, निवासी जनपद- सीतापुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-28437/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम0-07.07.2025 दिनांक-14.07.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजआलम पुत्र श्री करामत हुसैन, बाडी, थाना-सिधौली, जनपद-सीतापुर का निवासी है। जमीन की रंजिश को लेकर दिनांक 28-11-1998 को बंदी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू से करम अहमद व सरफ अहमद नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी।। उक्त अपराध में बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-69/1999, धारा-302/34, 506 आईपीसी में मा० अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-7, सीतापुर के आदेश दिनांक 20.12.2008 द्वारा आजीवन कारावास से से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 26-08-2022 तक अपरिहार 15 वर्ष, 10 माह, 22 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 05 माह, 14 दिन की सजा भोगी गयी है एवं बन्दी की आयु 45 वर्ष 08 माह है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड द्वारा सिद्धदोष बंदी राजआलम पुत्र श्री करामत हुसैन की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रकरण में जमीन की रंजिश को लेकर दिनांक 28.11.1998 को बंदी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू से मारकर करम अहमद व सरफ अहमद नामक 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राजआलम पुत्र श्री करामत हुसैन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजआलम (बन्दी संख्या-46804) पुत्र श्री करामत हुसैन, निवासी जनपद-सीतापुर को फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार बंदी के फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-169/2026/722के-2/22-3-2025-17(1416)/2022

दिनांक 22 मई, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजआलम पुत्र श्री करामत हुसैन, बाडी, थाना-सिधौली, जनपद-सीतापुर का निवासी है। जमीन की रंजिश को लेकर दिनांक 28-11-1998 को बंदी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू से करम अहमद व सरफ अहमद नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी।। उक्त अपराध में बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-69/1999, धारा-302/34, 506 आईपीसी में मा० अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-7, सीतापुर के आदेश दिनांक 20.12.2008 द्वारा आजीवन कारावास से से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 26-08-2022 तक अपरिहार 15 वर्ष, 10 माह, 22 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 05 माह, 14 दिन की सजा भोगी गयी है एवं बन्दी की आयु 45 वर्ष 08 माह है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड द्वारा सिद्धदोष बंदी राजआलम पुत्र श्री करामत हुसैन की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रकरण में जमीन की रंजिश को लेकर दिनांक 28.11.1998 को बंदी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू से मारकर करम अहमद व सरफ अहमद नामक 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राजआलम पुत्र श्री करामत हुसैन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।